



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 वैशाख 1945 (श0)
(सं0 पटना 395) पटना, सोमवार, 15 मई 2023

परिवहन विभाग

अधिसूचना

11 मई 2023

सं० 06/वायु गुणवत्ता-9-11/2019 परि० 3296—मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-115 में अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार को इसके लिए संतुष्ट होने का यथेष्ट कारण है कि सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा के दृष्टिकोण से (In the interest of Public Safety & Convenience) सभी प्रकार के डीजल चालित तिपहिया वाहनों जिनमें तुलनात्मक रूप से अधिक प्रदूषित गैस एवं PM-2.5(Particulate Matter) का उत्सर्जन होता है, उनके कारण उत्पन्न खतरनाक प्रदूषण के फलस्वरूप सभी नागरिकों के स्वास्थ्य पर असीमित प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिये ऐसे वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित किया जाय।

2. सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा के दृष्टिकोण से (In the interest of Public Safety & Convenience) गया नगर निगम एवं मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र की सीमा में सभी प्रकार के डीजल चालित तिपहिया वाहनों का परिचालन दिनांक-30.09.2023 की मध्यरात्रि से अगले आदेश तक प्रतिबंधित किया जाता है।

3. इस प्रतिबंध से प्रभावित होनेवाले व्यक्तियों को पूर्व सूचना के माध्यम से अवगत कराने के लिए मोटरवाहन अधिनियम की धारा-116 के अनुसार महत्वपूर्ण स्थानों पर उपयुक्त यातायात चिन्ह प्रदर्शित किये जायेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

पंकज कुमार पाल,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 395-571+10-डी0टी0पी0

Website: <http://egazette.bih.nic.in>